द्वितीय विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनांक 19 फरवरी, 2004 से 27 फरवरी, 2004

द्वितीय सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2004
(माघ 30, 1925)

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत "वन्देमातरम" की धुन बजाई गई।

2. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई।

महामहिम राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया।

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सभा में दिए गए अभिभाषण की प्रति सभा पटल पर रखी गई।

3.महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री विजय अग्रवाल, सदस्य द्वारा निम्नलिखित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

"महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है।"

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए दिनांक 23 तथा 24 फरवरी, 2004 का समय निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 19 फरवरी, 2004 को अपरांहन 4.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में संशोधन प्राप्त करने की घोषणा की गई।

4. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री शिव प्रताप सिंह
2. श्री अघन सिंह ठाकुर
3. श्री बद्रीधर दीवान
4. श्री गणेश शंकर वाजपेयी
5. श्री धर्मजीत सिंह
6. श्री नोवेल कुमार

5. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री कुशाभाऊ ठाकरे, पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री लरंग साय, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री, डॉ. प्रभात मिश्रा, पूर्व सांसद एवं श्री टेटवूराम साहू, म. प्र. विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

6. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा की बैठक समाप्त होने के पश्चात् द्वितीय विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र होगा।

सभी सदस्यों को विस्तृत कार्यक्रम पत्रक द्वारा वितरित किया गया है। प्रशिक्षण शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2004 एवं रविवार, दिनांक 22 फरवरी, 2004 को प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक होगा। सभी सदस्य इस कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित हों।

सभी सदस्य सभा समाप्ति के पश्चात् कृपया समिति कक्ष-2 में पहुंचे।

शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2004
(फाल्गुन 1, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 4 (क्र.-48) ''छत्तीसगढ़ राज्य में कृषकों को कृषि पंप हेतु स्वीकृत विद्युत कनेक्शन'' संबंधी प्रश्न पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 13 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित थे।

2. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2004 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नानुसार वित्तीय कार्य, शासकीय विधेयकों व अन्य कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वित्तीय कार्य

		निर्धारित समय
(1)	वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण.	1 घंटा 30 मिनट
(2)	वर्ष 2004-2005 के लेखानुदान का उपस्थापन, मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण.	30 मिनट

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1)	छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2004	1 घंटा 30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2004	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2004.	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004	30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2004	1 घंटा

नियम 139 के अधीन चर्चा

(1)	प्रदेश में पलायन की स्थिति निर्मित होने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चर्चा।	1 घंटा 30 मिनट
(2)	प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में हुई अव्यवस्था, बारदानों की कमी किसानों को भुगतान में विलंब, वर्षा से क्षति होने से किसानों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चर्चा।	1 घंटा 30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना पर चर्चा।	1 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी, 2004 को अपराह्न 2.30 बजे से लिये जाने वाले अशासकीय कार्य के स्थान पर नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचनाएं चर्चा हेतु ली जायेंगी।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव पर मत लिया गया

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-272/सात/राजस्व /2003, दिनांक 7 जून, 2003 पटल पर रखी।

2. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर एवं प्रबंध मंडल की टिप्पणी वर्ष 2001-2002 पटल पर रखी।

4. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने प्रदेश में नक्सलवादियों को आर्थिक सहयोग देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सदस्य सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, योगेश्वर राजसिंह, देवव्रत सिंह, रामदयाल उइके, महंत रामसुंदर दास, नंदकुमार पटेल, भूपेश बघेल, चैतराम साहू, डॉ. शिव डहरिया, गणेश शंकर वाजपेयी, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, राजेन्द्र पामभोई, सियाराम कौशिक, ताम्रध्वज साहू एवं डॉ. हरिदास भारद्वाज की प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी।

श्री बृज़मोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने इस स्थगन पर अपरांह्न 3.00 बजे से चर्चा कराने की घोषणा की।

5. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धनेन्द्र साहू, नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में वर्षा एवं ओलावृष्टि से रबी फसलों को क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

2. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश के कृषकों को गन्ने की उपज का उचित मूल्य न मिल पाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकी राम कंवर, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने रायपुर जिले में राहत कार्यों में लगे मजदूरों को भुगतान में दिये गये कूपनों के बदले चावल का भुगतान न होने,

2. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले के अंतर्गत सहसपुर लोहारा विकासखण्ड के सेवानिवृत्त शिक्षकों का वर्षों से अंतिम भुगतान न होने,

3. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने शासकीय कर्मचारियों के अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण न होने,

4. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम नवागांव हटहा एवं ग्राम कामठी में पुल निर्माण शीघ्र शुरू करने,

5. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने दुर्ग जिले में तान्दुला जलाशय के नहरों की लाइनिंग कार्य की स्वीकृति पर रोक लगने से कृषकों का सिंचाई लाभ से वंचित होने संबंधी शून्य काल की सूचना पढ़ी।

7. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम तथा सचिवालय द्वारा प्रकाशित प्रकाशन ''विधान सभा प्रक्रिया एवं संसदीय व्यवहार'' का वितरण सूचना कार्यालय से किया जा रहा है।

माननीय सदस्य हस्ताक्षर कर कृपया प्राप्त करें। इन प्रकाशनों से सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषयों को आत्मसात करने में सुविधा होगी।

माननीय सदस्य इन प्रकाशनों का लाभ उठाएंगे।

8. वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2004 को अपरांह्न 4.00 बजे तक का समय

निर्धारित किया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 1 सन् 2004) का पुरःस्थापन किया।

2. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक-2 सन् 2004) का पुरःस्थापन किया।

10. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2) तथा 223-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए वर्ष 2004-2005 की अवधि के लिये अपने में से क्रमशः 9-9 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 सदस्यों का निर्वाचन

श्री रामविचार नेताम, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"सभा के सदस्यगण विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-234-ख के उप नियम (1) की अपेक्षानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वर्ष 2004-2005 की अवधि के लिये अपने में से 9 सदस्य, जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिये अग्रसर हो।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2004 को अपरांह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2004 को अपरांहन 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।

3. उम्मीदवार से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2004 को अपरांहन 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2004 को 12.00 बजे दिन से 3.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष-1 में होगा।

5. निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में पलायन की स्थिति निर्मित होने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारम्भ की।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री इंदर चौपड़ा, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री देवलाल दुग्गा, श्री धनेन्द्र साहू, श्री भूपेश बघेल, श्री गणेश शंकर वाजपेयी

(चर्चा अपूर्ण)

13. स्थगन प्रस्ताव (3.00 बजे चर्चा प्रारंभ)

प्रदेश में नक्सलवादियों को आर्थिक सहयोग देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई। चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, श्री प्रदीप गांधी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान नारे लगाने तथा व्यवधान होने से माननीय अध्यक्ष ने 3.36 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की। 3.55 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया कि वे अपने पक्ष के सदस्यों को बैठाकर सत्तापक्ष के सदस्यों को भी सुने।

लगातार व्यवधान तथा नारेबाजी होने के कारण माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार उद्गार प्रकट करते हुए सभा की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की :-

उन्हें दुःख है कि प्रदेश की ज्वलंत समस्या पर प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत स्थगन पर प्रतिपक्षी सदस्य चर्चा को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनके द्वारा एकाधिक बार नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध किया गया कि वे इस चर्चा में सत्ता पक्ष को भी सुनें। प्रतिपक्ष की लगातार नरेबाजी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती।

वे यह मानते है कि प्रतिपक्ष अब चर्चा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। अतः वे सदन की कार्यवाही को सोमवार की प्रातः तक स्थगित करता हूँ।

सोमवार, दिनांक 23 फरवरी, 2004

(फाल्गुन 4, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों हेतु आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। प्रबोधन कार्यक्रम आज दिनांक 23 फरवरी से 26 फरवरी, 2004 को अपराहन 1.30 बजे से 3.00 बजे तक रहेगा। माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सभा की बैठकों का समय उक्त दिनांकों में अपराहन 3.00 बजे से 5.30 बजे करने की घोषणा की।

3. ध्यानाकर्षण

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में धान की कस्टम मिलिंग में अनियमितता होने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री मोहम्मद अकबर, श्री चैतराम साहू, सदस्य ने कबीरधाम जिले की वीरेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना में अनियमितता किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम सेंदुरखार विकासखण्ड पंडरिया जिला कवर्धा में शुद्ध पेयजल के लिए डीजल पंप एवं पाइप लगाने,

2. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने रायपुर जांजगीर-चांपा की सीमा पर महानदी में सलिदा घाट पर पुल निर्माण में विलंब होने,

3. श्री लालसाय खुटें, सदस्य ने ग्राम खम्हरिया विकासखण्ड जैजैपुर जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत डोलोमाइट खदान से प्रभावित भूमि का मुआवजा न देने,

4. श्री चेतराम साहू, सदस्य ने जिला सहकारी बैंक, रायपुर एवं संबद्ध सहकारी संस्थाओं की व्यय राशि की वसूली न होने,

5. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने बसडोल विधान सभा क्षेत्र में बया राजा देवरी मार्ग एवं पुल निर्माण कराए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने ग्राम बम्हनी विकासखण्ड पिथौरा जिला महासमुन्द में हाईस्कूल भवन स्वीकृत किये जाने एवं प्री-मेट्रिक बालिका छात्रावास में 50 सीट की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

2. श्री संजीव शाह, सदस्य ने चौकी विधान सभा क्षेत्र के :-

(क) विकासखण्ड मोहला व चौकी विकासखण्ड के बीच ग्राम कुंदारी दल्ली मोहड़ के पास नाले पर स्टाप डेम-कम-रपटा निर्माण किये जाने के संबंध में,

(ख) मानपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत खड़गांव में क्षय रोग के मरीजों के पूर्ण ईलाज के लिए खड़गांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र में दस बिस्तर पूर्ण सुविधायुक्त कक्ष निर्माण किये जाने के संबंध में,

(ग) मानपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कुम्हारी के आश्रित पारा सुरटोला के पास नाले पर स्टाप डेम कम रपटा निर्माण किये जाने के संबंध में,

(घ) मानपुर विकासखण्ड में ग्राम पंचायत हथरा के आश्रित ग्राम वाको में आवागमन की सुविधा हेतु हथरा से वाको मार्ग पर दो पुलिया एवं डब्लू. बी. एम. मार्ग निर्माण किये जाने के संबंध में,

(ङ) मानपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भर्रीटोला-जबराटोला के बीच बहने वाली नदी पर आम नागरिकों के आवागमन के लिए पुल निर्माण किये जाने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत की।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2004 (क्रमांक-3 सन् 2004) पुरः स्थापित किया।

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के संबंध में श्री विजय अग्रवाल, सदस्य ने अपना भाषण प्रारंभ किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 19 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हुई है, उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे उन्हें अग्राह्य कर दिया है। संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं इसलिए पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ेंगे केवल संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता सदस्यों के नाम तथा संशोधन संख्या को ही पढ़ेंगे। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
1.	श्री महेन्द्र कर्मा	10
2.	श्री सत्यनारायण शर्मा	17
3.	श्री नंदकुमार पटेल	04
4.	श्री धर्मजीत सिंह	15
5.	श्री गणेश शंकर वाजपेयी	09
6.	श्री भूपेश बघेल	09
7.	श्री ताम्रध्वज साहू	06
8.	डॉ. शक्राजीत नायक	09
9.	महन्त राम सुन्दर दास	06
10.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	18
11.	श्री राजकमल सिंघानिया	09
12.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	04
13.	श्री बोधराम कंवर	10
14.	श्री रामदयाल उईके	09
15.	श्री धनेन्द्र साहू	16
16.	श्री रविन्द्र चौबे	19
17.	श्री मोहम्मद अकबर	06

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री विजय अग्रवाल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य सर्वश्री प्रदीप गांधी, धर्मजीत सिंह

8. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि की उपस्थिति की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश चौटाला उपस्थित हैं, यह सदन उनका स्वागत करता है।

9. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

सदस्य श्री संजीव शाह, श्री गणेश शंकर वाजपेयी, श्रीमती रमशीला साहू, श्री गुलाब सिंह, सुश्री गिंकी ध्रुव।

10. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि क्र. बी-16 सेक्टर-बी में दिनांक 24 फरवरी, 2004 को श्री धरीयम आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सालय कोट्टाकुलम, जिला एरनाकुलम्, केरल के द्वारा एक नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का प्रारंभ प्रातः 10 बजे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

इस अवसर पर ख्यातिनाम नेत्र चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नेत्र शिविर का लाभ अवश्य लें।

11. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

सदस्य सर्वश्री नंदकुमार पटेल, त्रिलोचन पटेल, अमरजीत भगत, नोवेल कुमार वर्मा, देवजी पटेल, लालसाय खूंटे, राजकमल सिंघानिया ।

(चर्चा अपूर्ण)

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री राजकमल सिंघानिया का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2004

(फाल्गुन 5, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित थे।

2. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री गुलाब सिंह, धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे, सदस्य ने कोरिया जिले के खडगवां विकासखण्ड में मलेरिया से अनेक लोगों की मृत्यु होने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

कोरिया जिले के खडगवां विकासखण्ड में मलेरिया से अनेक लोगों की मृत्यु होने संबंधी ध्यानाकर्षण के जवाब में राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य अत्यंत लंबा होने पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

"संसदीय कार्यमंत्री यह सुनिश्चित करें कि विभागीय उत्तर इतना लंबा होने की बजाय छोटा हो, ताकि उपलब्ध समय का समुचित उपयोग हो सके। यदि ज्यादा लंबा उत्तर देना अत्यावश्यक हो तो उसकी पूर्व सूचना दी जाए, जिससे उसे पटल पर रखवाया जा सकता है और इससे सदन का समय भी बचेगा"

4. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

2. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य नें मुख्यमंत्री सहायता कोष से गरीबों को इलाज हेतु राशि प्राप्त न होने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने ग्राम कटामी विकासखण्ड लोरमी जिला बिलासपुर में मनियारी नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण को वन विभाग की स्वीकृति देने,

2. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले के अंतर्गत कवर्धा वनमंडल क्षेत्र में भोरमदेव के पास सकरी नदी में करिया आमा स्थल में बांध निर्माण,

3. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने शासकीय महाविद्यालय, कसडोल में रिक्त पदों की पूर्ति किए जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाए पढ़ी।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पुनग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, श्री रामचन्द्र सिंहदेव, कु. कामदा जोल्हे, श्री दयालदास बघेल, श्री भूपेश बघेल, श्री बद्रीधर दीवान, मोहम्मद अकबर, श्री प्रीतम साहू, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री उदय मुदलियार, श्री बोधराम कंवर, श्री इंदर चौपड़ा, महन्त राम सुन्दर दास, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री धनेन्द्र साहू एवं नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा।

मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तथा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर विचार पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं प्रस्तुत संशोघनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2004

(फाल्गुन 6, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये। आठ प्रश्नों से संबंधित माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित रहे।

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र.-157) ग्यारहवें वित्त आयोग की रायपुर को दी गई राशि संबंधी प्रश्न पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 25 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सदस्य के पद त्याग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-85 डोंगरगांव से निर्वाचित सदस्य श्री प्रदीप गांधी ने दिनांक 24 फरवरी, 2004 को सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है जिसे उसी दिनांक से स्वीकार कर लिया गया है।

सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह एवं रविन्द्र चौबे ने मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के विधायक श्री गुलाब सिंह एवं उनके अंगरक्षक के साथ दिनांक 10.1.02 को बिलासपुर-रतनपुर मार्ग पर हुई मारपीट की घटना का मामला उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि सभी आरोपियों को दिनांक 11.1.04 को 17.00 बजे गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत में भेजा गया।

3. ध्यानाकर्षण

1. श्री संजीव शाह, सदस्य ने जिला राजनांदगांव विकासखण्ड मानपुर ग्राम पंचायत कहगांव में सूखा राहत मद की राशि का गबन किये जाने के संबंध में पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री चैतराम साहू, सदस्य की रायपुर जिले में राइस मिलों को लीज पर देने में हुई अनियमितता संबंधी कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-2 माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में केन्द्र सरकार की योजना के तहत अनुभवी जनस्वास्थ्य रक्षकों को वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं दवाई का प्रदाय न होने,

2. श्री लालसाय खूंटे, सदस्य ने बलौदाबाजार स्थित अपेक्स राईस मिल में कार्यरत हमालों को भविष्य निधि की राशि प्राप्त न होने,

3. श्री रामदयाल उईके, सदस्य ने राज्य गठन के बाद विभाजन में शीर्ष संस्थाओं को भारी क्षति होने ,

4. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने राजादेवरी, सोनाखान, गिरौदपुरी से गिधौरी मार्ग अत्यंत जर्जर होने,

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कवर्धा जिले के विकासखण्ड पंडरिया के अंतर्गत वनांचल में बैगा आदिवासी बाहुल्य ग्राम सेंदूरखार में पेयजल व्यवस्था न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी।

5. वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के आय-व्ययक (लेखानुदान) का उपस्थापन किया।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक-6 सन् 2004) पुरः स्थापित किया।

2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक,2004 (क्रमांक-7 सन् 2004) पुरः स्थापित किया।

7. वर्ष 2003-2004 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर चर्चा

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 47, 55, 56, 58, 59, 64, 67, 75, 79, 80, 81, एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ तीस करोड़, उनहत्तर लाख, आठ हजार, छः सौ इक्कीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रविन्द्र चौबे, श्री इंदर चौपड़ा, श्री धर्मजीत सिंह, श्री देवजी पटेल, श्री रामदयाल उइके, श्री विजय अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री धनेन्द्र साहू।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

अनुपूरक मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

2. श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

9. औचित्य का प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधेयक में सरकार की मद से खर्च होना है इसलिए इसमें वित्तीय ज्ञापन का लगना आवश्यक है। चूंकि विधेयक में वित्तीय ज्ञापन नहीं लगा है इसलिए इस विधेयक पर विचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने कहा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं होना है तथा इसमें शत-प्रतिशत राशि एन.टी.पी.सी. की ओर से ही खर्च होनी है इसलिए माननीय सदस्य की आपत्ति मान्य योग्य नहीं है।

सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, नंदकुमार पटेल, रामचन्द्र सिंहदेव, नोवेल कुमार वर्मा ने भी विधेयक के विचार पर आपत्ति प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय 10 के नियम 61 (2) का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि इसमें लोक निधि में से व्यय अंतर्ग्रस्त नहीं है इसलिए इस विधेयक में वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् जैसे ही माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था पढ़ना प्रारम्भ की, सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा ने बीच में खड़े होकर पुनर्विचार करने संबंधी बात की। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से व्यवस्था को पूरा सुनने का आग्रह किया किन्तु सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सभा की कार्यवाही बीच में ही छोड़कर चले गये।

माननीय अध्यक्ष ने घटना पर दुःख प्रकट करते हुये कहा कि यह अत्यन्त ही खेदजनक घटना है कि अध्यक्ष की व्यवस्था आने के पहले ही कोई पुनर्विचार के लिये अनुरोध करे। ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष मानस बनाकर ही यह आपत्ति कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष ने विधेयक पर प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

मैंने माननीय सदस्यों की आपत्ति सुन ली। सारी आपत्तियां संभावनाओं पर आधारित हैं। यह विधेयक भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने के लिए है। इन शक्तियों का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षति, हानि या नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना प्रावधानित है।

वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है इसलिए संचित निधि से कोई व्यय भी संभावित नहीं है।

क्षति या नुकसान की स्थिति सरकार या निगम से बनेंगी तो भुगतान संबंधित निगम या विभाग द्वारा करने की स्थिति बनेगी। विभाग या निगम इस हेतु बजट प्रावधान करा सकेगा।

वर्तमान में संचित निधि से कोई व्यय अंतर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता। विधि विभाग की भी यही राय है।

अतः मै आपत्ति अमान्य करता हूँ।

सदस्य सर्वश्री इंदर चौपड़ा, नोवेल कुमार वर्मा ने चर्चा में भाग लिया।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 16 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

3. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

4. श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

सदस्य श्री विजय अग्रवाल एवं डॉ. बालमुकुंद देवांगन ने चर्चा में भाग लिया।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3, व 4 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक अधिकरण (लंबित एवं निराकृत आवेदनों का अंतरण)विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2004

(फाल्गुन 7, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये। 03 प्रश्नों से संबंधित माननीय सदस्य नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित रहे।

राजनांदगांव जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रमांक-120) एवं प्रदेश में जिलेवार धान के उत्पादन संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-16 (क्रमांक-397) पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों तथा 36 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) की अपेक्षानुसार :-

1. वित्त लेखे वर्ष 2002-2003 (छत्तीसगढ़ सरकार)
2. विनियोग लेखे वर्ष 2002-2003 (छत्तीसगढ़ सरकार) तथा
3. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए) (छत्तीसगढ़ सरकार)

पटल पर रखे।

3. श्वेत-पत्र का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य में निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापना पर श्वेत-पत्र सभा पटल पर रखा।

4. अशासकीय संकल्पों के समय निर्धारण की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आगामी शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004 के अशासकीय दिवस हेतु ग्राह्य अशासकीय संकल्पों पर चर्चा हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया जाता है :-

	अशासकीय संकल्प का संक्षिप्त विषय	सदस्य का नाम	आवंटित समय
1.	आर्थिक रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों की निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना।	श्री विजय अग्रवाल	30 मिनट
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को मलेरिया रोग के इलाज हेतु एक खुराकीय दवाई मुफ्त में देने की व्यवस्था।	डॉ. हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ राज्य की केन्द्र सरकार में विचाराधीन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाना।	श्री देवजी पटेल	30 मिनट
4.	वन भूमि में सिंचाई हेतु तालाब, बांध निर्माण एवं सड़क निर्माण हेतु नियम को शिथिल कर राज्य सरकार को अधिकार दिया जाना।	डॉ. हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
5.	राज्य के सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाना।	श्री रविन्द्र चौबे	30 मिनट

5. बहिर्गमन

सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा, सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने दिनांक 25-2-04 को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) विधेयक, 2004 में सरकार द्वारा वित्तीय ज्ञापन न लगाने जाने तथा इस मामले में विपक्ष को विश्वास में नहीं लेने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही से बहिर्गमन किया।

6. ध्यानाकर्षण

1. श्री नोवेलकुमार वर्मा, सदस्य ने हसदेव बांगों के बायीं तट नहर के निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित न करने के संबंध में जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की खैरागढ़ वन मंडल में इमारती लकड़ी की अवैध कटाई होने संबंधी कार्यसूची में दर्ज ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-2 सदस्य के अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 17 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 26-02-2004 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री योगेश्वरराज सिंह, सदस्य की कबीरधाम जिला मुख्यालय में हो रहे शासकीय निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी,

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में कंप्यूटर साइंस एवं इन्फोरमेशन टैक्नॉलॉजी की प्रथम वर्ष की कक्षाएं बंद न की जाना,

3. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में रोड निर्माण में लापरवाही किये जाने संबंधी,

4. धर्मजीत सिंह, सदस्य की बिलासपुर जिलें में ऐतिहासिक मूर्ति चोरी पर पुलिस की निष्क्रियता संबंधी,

5. श्री लालसाय खूंटे, सदस्य की ग्राम करेली बड़ी तहसील जिला धमतरी में भूमि पट्टे वितरण में अनियमितता किये जाने संबंधी,

6. श्री उदय मुदलियार, सदस्य की राजनांदगांव में नगरपालिका निगम द्वारा संचालित पेयजल व्यवस्था से गंदे पानी की सप्लाई किये जाने संबंधी,

7. श्री गुलाब सिंह, सदस्य की विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया के सरपंच द्वारा कमीशन न देने पर उसे गाली तथा मारपीट की धमकी दिये जाने संबंधी,

8. श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य की प्रदेश के चार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किसानों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को अध्यक्ष पद से हटा दिये जाने संबंधी,

9. श्री चैतराम साहू, सदस्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की उच्च नौकरशाहों द्वारा निरन्तर उपेक्षा किये जाने संबंधी,

10. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम कुटरा में डाक्टरों की लापरवाही से श्री धरमदास मानिकपुरी के पुत्र की मौत होने संबंधी,

11. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य की जल संसाधन विभाग की उदासीनता के कारण विकास खण्ड कसडोल के ग्रामों में अकाल की स्थिति होने संबंधी,

12. कु. कामदा जोल्हे, सदस्य की सारंगढ़ विकास खण्ड अंतर्गत ग्राम छर्रा में वन भैंसा के हमले से घायल व्यक्तियों के समुचित इलाज की व्यवस्था एवं मुआवजा राशि का भुगतान न होने संबंधी,

13. श्री विनोद खांडेकर, सदस्य की कार्यपालन अभियंता की पद स्थापना मैदानी क्षेत्र केलो परियोजना जल संसाधन संभाग रायगढ़ में किये जाने संबंधी,

14. श्री अमरजीत भगत, सदस्य की अंबिकापुर सरगुजा जिले में सड़कों की जर्जर स्थिति होने संबंधी,

15. श्री रामदयाल उइके, सदस्य की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन योजना के अंतर्गत विपणन संघ में भारी अनियमितता होने संबंधी,

16. श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य की महामहिम राष्ट्रपति के रायपुर प्रवास के दौरान मैनपुर एवं देवभोग में सुरक्षाबल हटाने से हीरा खदानों में तस्करी होने संबंधी,

17. श्री देवलाल दुगा, सदस्य की जिला कांकेर में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने संबंधी।

8. वर्ष 2004-2005 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि लोकसभा तथा विधान सभाओं की परिपाटी रही है कि लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण बजट के आने पर चर्चा का अवसर सदस्यों को मिलता ही है।

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

"दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष 2004-2005 के एक भाग अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2004 तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल चौबीस सौ छप्पन करोड़ अन्ठावन लाख, सन्तावन हजार रुपये की धनराशि जिसमें बजट अनुमान वर्ष 2004-2005 के लिए लेखानुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी गई राशियां स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिए सम्मिलित है, लेखानुदान के रूप में दी जावे।"

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

लेखानुदान की मांग स्वीकृत हुई।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

प्रस्ताव पर मत लिया गया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11.54 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 12.07 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सभा में अपना आसन ग्रहण किया)

10. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि की उपस्थिति तथा स्वागत

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा की अध्यक्षीय दीर्घा में केन्द्रीय वन तथा पर्यावरण राज्यमंत्री श्री रमेश बैस उपस्थित है सदन उनका स्वागत करता है।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

3. श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए।

सदस्य सर्वश्री इंदर चौपड़ा, रविन्द्र चौबे, देवजी भाई पटेल, देवब्रत सिंह, चंदूलाल साहू ने चर्चा में भाग लिया।

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से विधेयक पर विचार पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 23 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री विक्रम उसेंडी, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर मत लिया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

11. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि माननीय सदस्य उपस्थिति पंजी में अपने हस्ताक्षर नहीं करते जिसके कारण उनका दैनिक भत्ता देयक बनाने में असुविधा होती है तथा माननीय सदस्य बाद में आवेदन प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध करते हैं यह उचित प्रक्रिया नहीं है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रतिदिन सूचना कार्यालय में रखी उपस्थिति पंजी में आवश्यक रूप से हस्ताक्षर किया करें ताकि दैनिक भत्ता देयक बनाने में असुविधा न होने पाये।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को यह भी सूचित किया कि आज संध्या 7.30 बजे विधान सभा परिसर के सेंट्रल लॉन में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भोज की व्यवस्था माननीय वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल द्वारा की गई है। आमंत्रण पत्र खानेदार आलमारी से वितरित किया गया है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य, एवं पत्रकारगण आमंत्रित हैं। कृपया समय पर पधारें।

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1. प्रदेश में पलायन की स्थिति निर्मित होने के संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा उठाई गई पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

श्री धर्मजीत सिंह, श्री बद्रीधर दीवान, कुमारी कामदा जोल्हे, श्री राजकमल सिंघानिया, श्री देवव्रत सिंह, श्री उदय मुदलियार, डॉ.बालमुकुन्द देवांगन, मोहम्मद अकबर।

श्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

13. लोकलेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिये 9-9 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि :- लोकलेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए 9-9 उम्मीदवारों के नाम-निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि चारों समितियों के लिए 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किए जाना हैं, अतः वे निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हैं :-

1. लोक लेखा समिति-

1. डॉ. बाल मुकुन्द देवांगन
2. श्री त्रिलोचन पटेल
3. श्रीमती रमशीला साहू
4. श्री प्रीतम साहू
5. श्री अघन सिंह ठाकुर
6. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव
7. डॉ. शक्राजीत नायक
8. श्री रविन्द्र चौबे
9. श्री नोवेल कुमार वर्मा

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

2. प्राक्कलन समिति-

1. श्री संजीव शाह
2. श्री सिद्धनाथ
3. श्री देवजी भाई
4. श्री दयाल दास बघेल
5. श्री विजयनाथ सिंह
6. श्री विनोद खाण्डेकर
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
9. श्री धर्मजीत सिंह

श्री संजीव शाह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गाय.

3. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. श्री विजय अग्रवाल
3. श्री इंदर चोपड़ा
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री भरत साय
6. श्री कवासी लखमा
7. मो. अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री उदय मुदलियार

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति-

1. डॉ. त्रिविक्रम भोई
2. श्री शिवप्रताप सिंह
3. श्री देवलाल दुग्गा
4. सुश्री पिंकी ध्रुव
5. सुश्री लता उसेन्डी
6. श्री विनोद खाण्डेकर
7. डॉ. शिवकुमार डहरिया
8. श्री बोधराम कंवर
9. श्री मोतीलाल

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

14. नाम-निर्दिष्ट समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234(ग), 234-घ (2), 234-च (2), एवं 234-ज (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वे निम्नलिखित समितियों के सदस्यों को वर्ष 2004-2005 की अवधि में सेवा करने के लिए नाम-निर्दिष्ट तथा नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया :-

1. कार्यमंत्रणा समिति-

1. डॉ. रमन सिंह
2. श्री अजय चन्द्राकर
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री ननकीराम कंवर
5. श्री महेन्द्र कर्मा
6. श्री रविन्द्र चौबे
7. श्री सत्यनारायण शर्मा
8. श्री भूपेश बघेल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति-

1. श्री भरत साय
2. श्री संजीव शाह
3. श्रीमती रमशीला साहू
4. श्री विजयनाथ
5. श्री बोधराम कंवर
6. श्री गणेशशंकर बाजपेयी
7. श्री राजेन्द्र पामभोई

श्री भरत साय, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

3. याचिका समिति-

1. श्री देवजी भाई
2. डॉ. सुभाउ कश्यप
3. श्री ओमप्रकाश राठिया
4. श्री प्रीतम साहू
5. श्री देवव्रत सिंह
6. श्री उदय मुदलियार
7. श्री कवासी लखमा

श्री देवजी भाई, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

4. प्रत्यायुक्त विधान समिति-

1. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
2. श्री लच्छुराम कश्यप
3. श्री रामसेवक पैकरा
4. श्री संजीव शाह
5. डॉ. शक्राजीत नायक
6. श्री सियाराम कौशिक
7. श्री धनेन्द्र साहू

श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

5. शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति-

1. डॉ. बालमुकुंद देवांगन
2. श्री संजय ढीढी
3. श्री प्रीतम सिंह दीवान
4. श्री कमलभान
5. श्री बलराम सिंह
6. श्री ताम्रध्वज साहू
7. श्री योगेश्वरराज सिंह

डॉ. बाल मुकुंद देवांगन, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

6. विशेषाधिकार समिति-

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. डॉ. सुभाउ कश्यप
3. श्री त्रिलोचन पटेल
4. श्री देवजी भाई
5. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. डॉ. चेतन वर्मा

श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

7. नियम समिति-

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री चन्दूलाल साहू
3. मोहम्मद अकबर
4. महंत रामसुंदर दास
5. श्री मोतीलाल

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय विधि मंत्री, श्री ननकीराम कंवर पदेन सदस्य होंगे।

8. सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति-

1. श्री देवलाल दुग्गा
2. डॉ. बाल मुकुंद देवांगन
3. श्री भरत साय
4. श्री रामसेवक पैकरा
5. श्री कमल भान
6. डॉ. हरिदास भारद्वाज
7. श्री चुरावन मंगेशकर
8. श्री ओंकार शाह
9. श्री लालसाय खुंटे

श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

9. पुस्तकालय समिति-

1. श्री शिवप्रताप सिंह
2. श्री बैदूराम कश्यप
3. श्री त्रिलोचन पटेल
4. श्री दयाल दास बघेल
5. श्री चैतराम साहू
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री नोवेल कुमार

श्री शिवप्रताप सिंह, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

10. पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति-

1. श्री इंदर चोपड़ा
2. श्री चंदुलाल साहू
3. डॉ. त्रिविक्रम भोई
4. श्री सिद्धनाथ
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. डॉ. शिव कुमार डहरिया
7. श्री अमरजीत

श्री इंदर चोपड़ा, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

11. प्रश्न एवं संदर्भ समिति-

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री विनोद खाण्डेकर
3. श्री राजशरण भगत
4. श्री बैदूराम कश्यप
5. श्री धर्मजीत सिंह
6. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव
7. श्री चन्द्रभान

श्री विजय अग्रवाल, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

12. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति-

1. सुश्री लता उसेण्डी
2. कु. पिंकी ध्रुव
3. श्री प्रीतम साहू
4. श्री लाल महेन्द्र सिंह टेकाम
5. श्री विजयनाथ
6. श्री रामपुकार सिंह
7. श्री रामदयाल उइके
8. श्री गुलाब सिंह
9. कुमारी कामदा जोल्हे

सुश्री लता उसेंडी, सदस्य को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

13. आचरण समिति-

1. श्री विजय अग्रवाल
2. श्री देवजी भाई
3. श्री देवलाल दुग्गा
4. श्री भूपेश बघेल
5. श्री सत्यनारायण शर्मा
6. श्री रविन्द्र चौबे

अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति तथा माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य होंगे।

15. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

2. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में हुई अव्यवस्था, बारदानों की कमी, किसानों को भुगतान में विलंब, वर्षा से क्षति होने से किसानों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में सदस्य श्री रविन्द्र चौबे ने चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री त्रिलोचन पटेल, मोहम्मद अकबर, श्री देवजी भाई पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री लालसाय खूंटे, श्री विजय अग्रवाल, श्री अमरजीत भगत, श्री धनेन्द्र साहू, श्री राजकमल सिंघानिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी, 2004

(फाल्गुन 8, 1925)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उनके उत्तर दिये गये। 01 प्रश्न से संबंधित माननीय सदस्य नाम पुकारे जाने के समय अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 28 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों एवं अन्य विशिष्टजनों के प्रोटोकाल के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी :-

दिनांक 23 फरवरी, 2004 को माननीय सदस्य श्री रविन्द्र चौबे ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आसंदी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उन्हें प्रमुख सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में दिनांक 27 जनवरी, 2004 को आयोजित जल उपयोगिता समिति की बैठक की सूचना प्राप्त हुई थी। बैठक की इस सूचना के आमंत्रितों में माननीय अध्यक्ष का नाम काफी निचले क्रम पर अंकित किया गया था। उनका यह भी कथन था कि विभाग एवं जल उपयोगिता समिति के सचिव को यह नहीं मालूम कि अध्यक्ष का स्थान कहां पर होता हैं। मंत्रियों का क्रम भी यथा स्थान नहीं रखा गया। इस प्रकार बैठक हेतु प्रोटोकाल का ध्यान नहीं रखा गया है।

उक्त संबंध में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी मंगाई गई। प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2004 द्वारा जानकारी प्रेषित की जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि सूचना जारी करने में प्रोटोकाल का ध्यान रखने में चूक अवश्य हुई है परंतु इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। उनका यह भी कहना है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित कर लिया गया है। इस त्रुटि के कारण माननीय अध्यक्ष के सम्मान को जो ठेस पहुंची है उसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है।

बाद में माननीय सदस्य श्री रविन्द्र चौबे ने कृषक मेले में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भी प्रोटोकाल के विपरीत मेले में माननीय विधायकों को आमंत्रित न करने की बात भी कही।

दोनों ही मामले गंभीर हैं। ऐसी भूल वरिष्ठ अधिकारियों से हो तो यह कार्य के प्रति उदासीनता ही कही जाएगी। चूंकि इस मामले में प्रमुख सचिव जल संसाधन ने लिखित खेद व्यक्त किया है इसलिए इस मामले को मैं यहीं समाप्त करता हूं लेकिन मेरा शासन से अनुरोध है कि सभी विभागीय प्रमुखों को निर्देश जारी करें कि वे विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों एवं अन्य विशिष्टजनों के प्रोटोकाल का ध्यान रखते हुए बैठकें बुलाएं और पत्राचार में भी उसका पूरा ध्यान रखें। भविष्य में प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन भी शासन सुनिश्चित करे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि जारी निर्देशों की प्रति विधानसभा सचिवालय व सभी माननीय सदस्यों को भी भेजी जाय।

सदस्य सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल ने तेंदूपत्ता का संग्रहण समितियों के माध्यम से न कराकर निजी लोगों के माध्यम से कराने के संबंध में प्रतिपक्ष द्वारा दी गई स्थगन की सूचना पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस पर विभिन्न माध्यमों से सभा में चर्चा हो चुकी है। आज चूंकि 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं नर्चा हेतु ली गई है। तथा अशासकीय कार्य दिवस भी है अतः सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सहयोग करें।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखा।

2. श्री पूनम चन्द्राकर, राज्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 (क्रमांक-30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का उन्नीसवॉं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा बीसवॉं वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002 पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 12 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से

क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं लिए जाने की घोषणा की।

1. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के प्रबंध संचालक द्वारा गोदामों के निर्माण में अनियमितता किये जाने के संबंध में खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मेघाराम साहू, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

2. श्री चैतराम साहू, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक में ऋण वितरण व सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. श्री इंदर चौपड़ा, सदस्य ने प्रदेश में शराब की अवैध आपूर्ति किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. श्री विनोद खांडेकर, सदस्य की कवर्धा वन मंडल में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने संबंधी ध्यान आकर्षण की सूचना उनके अनुपस्थित रहने से व्यपगत मानी गई।

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं तथा पटल पर रखे गये वक्तव्य :-

5. श्री मोहम्मद अकबर, डॉ. शक्राजीत नायक की प्रदेश में किसानों को उन्नत एवं प्रमाणित बीजों की प्रदायगी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना एवं कृषि मंत्री का वक्तव्य।

6. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धनेन्द्र साहू, भूपेश बघेल, सदस्य की सिंचाई जलाशयों में भरपूर पानी होने के बावजूद दूसरी फसल हेतु पानी न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

7. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य की गोबरा नवापारा शहर की नालियों का गंदा पानी महानदी में बहाने से जल प्रदूषित होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य।

8. श्री प्रीतम सिंह दीवान, सदस्य की तांदुला मुख्य नहर के जीर्णोद्धार व लाईनिंग कार्य की निविदा स्वीकृति में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

9. डॉ. शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे, श्री भूपेश बघेल, सदस्य की प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

10. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की रायगढ़ जिले के सरिया राजस्व मंडल में पट्टा वितरण में अनियमितता किए जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

11. श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य की महानदी मुख्य नहर के जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

12. सर्वश्री मोहम्मद अकबर, धर्मजीत सिंह, रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य की मण्डी शुल्क व निराश्रित शुल्क की ब्याज सहित वसूली के आदेश निरस्त किये जाने से शासन को आर्थिक क्षति होने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वे नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 27-2-2004 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं :-

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री संजीव शाह, सदस्य की गृह विभाग में पदस्थ चिकित्सकों को अव्यवसायिक भत्ता नहीं मिलने संबंधी ,

2. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य की प्रदेश के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पुरुष / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रिक्त पड़े पदों की पूर्ति किये जाने

संबंधी,

3. श्री योगेश्वरराज सिंह, सदस्य की भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता और केन्द्र सरकार से अनुदान राशि दिलाये जाने संबंधी,

4. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य की राजनांदगांव के ग्राम कांचरी के उप सरपंच द्वारा शासकीय चारागाह एवं मैदानी भूमि को अवैध रूप से विक्रय किये जाने संबंधी,

5. श्री लालसाय खूंटे, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा विकास खण्ड जैजेपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा विधायक से बदसलूकी किये जाने संबंधी,

6. श्री उदय मुदलियार, सदस्य की राजनांदगांव नगरपालिका द्वारा बिना सूचना पानी छोड़ने से किसानों के लाखड़ी फसल नष्ट होने संबंधी,

7. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य की राजनांदगांव जिले में बुनकरों को बुनाई कार्य न मिलने से रोजी-रोटी की समस्या होने संबंधी,

8. श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य की कसडोल एवं बिलाईगढ़ में नये थाने खोले जाने संबंधी,

9. श्री विनोद खांडेकर, सदस्य की छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल रायपुर के उप यंत्री द्वारा रिश्वत लेने के संबंध में निलंबन की कार्यवाही नहीं किये जाने संबंधी,

10. श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य की आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किये जाने संबंधी,

11. श्री इंदर चौपड़ा, सदस्य की हसदेव बांगो परियोजना के खरसिया संभाग क्रमांक-5 के अधिकारियों के मिली भगत से बिना स्वीकृति तथा निविदा के भवन निर्माण कार्य किये जाने संबंधी।

6. याचिका की प्रस्तुति

श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने :-

मिनिमाता उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय कसडोल जिला रायपुर का सीमांकन बाउंड्रीवाल की स्वीकृति, समतलीकरण तथा मुरमीकरण, सांस्कृतिक मंच निर्माण, फर्नीचर व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, स्वीपर की नियुक्ति किये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत की।

7. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

छत्तीसगढ़ में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री बद्रीधर दीवान, श्री नंदकुमार पटेल, श्री इंदर चौपड़ा, श्री उदय मुदलियार।

माननीय सभापति ने सदन की अनुमति से पहले आधे घंटे तथा बाद में माननीय मंत्री का उत्तर आने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

गृह मंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. अशासकीय संकल्प

1. श्री विजय अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "आर्थिक रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

सदस्य डॉ. सुभाऊ कश्यप, श्री नंदकुमार पटेल, श्री रामसेवक पैकरा, श्री चंदूलाल साहू, श्री रामदयाल उइके, श्री संजीव शाह, श्री धर्मजीत सिंह ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

2. डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को मलेरिया रोग के इलाज हेतु एक खुराकीय दवाई मुफ्त में देने की व्यवस्था की जावे" एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

सदस्य डॉ. त्रिविक्रम भोई, कुमारी कामदा जोल्हे, श्री अमरजीत भगत, डॉ. बालमुन्द देवांगन, श्री इंदर चौपड़ा, श्री कवासी लखमा, डॉ. सुभाऊ

कश्यप, श्री प्रीतम सिंह दीवान ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

3. श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की बोधघाट, रावघाट एवं मोंगरा जलाशय परियोजना की स्वीकृति पर केन्द्र सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ राज्य की केन्द्र सरकार में विचाराधीन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करे" एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से संकल्प पर चर्चा तथा सत्र समापन भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की।

सदस्य सर्वश्री बद्रीधर दीवान, देवव्रत सिंह, बैदूराम कश्यप, धनेन्द्र साहू, इंदर चौपड़ा, रविन्द्र चौबे, देवलाल दुग्गा, संजीव शाह ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प पर मत लिया गया।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

9. नियम-239 के अंतर्गत विचाराधीन विशेषाधिकार भंग की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है :-

1. माननीय श्री अजय चन्द्राकर, श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, श्री रामविचार नेताम द्वारा श्री अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री एवं सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2003.

10. सत्र का समापन

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र के समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये गये :-

छत्तीसगढ़ विधान सभा के द्वितीय सत्र का आज यह अंतिम दिन है। इस लघु सत्र की कुल 7 कार्य दिवसों में सदस्यों ने **31 घण्टे** बैठकर कार्य सम्पादित किया और इस दौरान वित्तीय, विधायी एवं लोक महत्व की महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुए। यदि हम विभिन्न कार्यवार देखें तो वित्तीय कार्य में 2 घण्टे 40 मिनट, विधायी कार्य में 1 घण्टा 40 मिनट, प्रश्नों पर चर्चा 6 घण्टे, कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा 7 घण्टे 38 मिनट, स्थगन प्रस्ताव पर 53 मिनट, नियम 139 पर 5 घण्टे 14 मिनट, ध्यानाकर्षण पर 02 घण्टा 09 मिनट चर्चा हुई।

इस सत्र में जो विशेष बात देखने में आयी, वह यह थी कि सभा में मान. सदस्यों के आसन व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। पूर्व में जो हमारे वरिष्ठ सदस्य आसंदी के दायीं ओर बैठते थे, वे इस विधान सभा में बायीं ओर बैठे नजर आते हैं और जो सदस्य बायीं ओर बैठें दिखाई देते थे, वे आसंदी के दाहिने ओर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इन बदली हुई परिस्थितियों में भी दोनों ही पक्षों के सदस्यगण ने अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह सफलतापूर्वक एवं गरिमामय ढंग से किया। यदा-कदा कुछ रोचक स्थितियाँ निर्मित हुई, जब मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने विपक्ष के हमारे ऐसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, का मंत्री महोदय ही सम्बोधित किया, वहीं विपक्ष के हमारे ऐसे वरिष्ठ सदस्य भी प्रश्नकाल के दौरान यह बोलते नजर आए कि मैं मा. सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि अगले सत्र तक वे जानकारी लेने की स्थिति में अवश्य आ जाएंगे।

बदली हुई परिस्थितियों में नवनियुक्त मंत्रियों को वरिष्ठ नेताओं के सन्मुख उत्तर देने में असहज तो लगा होगा किन्तु फिर भी उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह गरिमापूर्ण ढंग से और जिम्मेदारी के साथ निभाया। इस द्वितीय विधान सभा में 44 माननीय सदस्य प्रथम बार निर्वाचित होकर जन-आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित कर रहे है, उनकी भूमिका भी सराहनीय रही।

इस सत्र में लगभग प्रत्येक सामयिक एवं जनहित के विषयों पर चर्चा हुई और नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी अपने विचार एवं तर्क, चाहे वह प्रश्नकाल हो या विधायी कार्य, वित्तीय कार्य हो या समीक्षात्मक कार्य, प्रभावी तरीके से रखे। इस सत्र में नियम 139 के अन्तर्गत चर्चा हेतु तीन सूचनाएं प्राप्त हुईं और तीनों ही सूचनाओं पर सदन में चर्चा हुई। अशासकीय संकल्प भी 5 प्राप्त हुऐ और तीन अशासकीय संकल्प सभा में चर्चा के लिए लिए गए, जिसमें से 02 संकल्प स्वीकृत भी हुए। यह खुशी की बात है कि इस विधान सभा में प्राप्त प्रथम संकल्प श्री विजय अग्रवाल जी का प्रथम अशासकीय संकल्प स्वीकृत हुआ। सदस्यों ने जिस प्रकार सक्रिय होकर सभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया है, उससे निश्चित ही प्रदेश की दो करोड़ जनता को यह संदेश जाएगा कि उनके प्रतिनिधि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में जनकल्याण के लिए सक्रिय हैं और गंभीरता से प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं।

यह सुखद अनुभव भी रहा कि सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने नवनियुक्त मंत्रियों एवं सदस्यों के साथ वरिष्ठ जन जैसा व्यवहार करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मेरा आग्रह है कि वे अपने कार्य, अपने व्यवहार एवं अपने ज्ञान से ऐसे उदाहरण सदन में प्रस्तुत करते रहें जिससे सदन के

नये सदस्य प्रेरणा व लाभ ले सकें।

मैं सदन को यह भी बता दूं कि द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र में 199 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें 43 ग्राह्य 94 अग्राह्य रहीं। इस सत्र में 53 स्थगन प्रस्ताव रखे गये जिसमें 16 ग्राह्य और 12 अग्राह्य रहें तथा शेष प्रस्ताव ध्यानाकर्षण सूचना में परिवर्तित किए गए। शून्यकाल में जहाँ 72 सूचनायें प्राप्त हुई वहीं उनमें 57 ग्राह्य और 12 अग्राह्य रहीं। इस सत्र में सदन के पटल पर 7 विधेयक लाए गए और 7 ही पारित हुए। इसी सत्र में 7 प्रतिवेदन पटल पर रखे गए। 8 याचिकाएं सदन पटल पर रखी गई।

सदन की कार्यवाहियों में प्रश्नकाल का अपना महत्व होता है और इसे इस सत्र में माननीय सदस्यों ने साबित किया। इस सत्र में 477 प्रश्न सम्मिलित हुए इनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 197 रहे। 77 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। प्रथम विधान सभा में मौखिक प्रश्नों का प्रतिदिन का औसत 6 प्रश्नों का था, वहीं वर्तमान द्वितीय विधान सभा के इस द्वितीय सत्र में यह औसत प्रतिदिन 11 प्रश्नों का है। यह एक अच्छी शुरूवात है मेरा विश्वास है कि यह औसत ऊपर की ओर जाएगा, जिससे ज्यादा जनसमस्याओं पर सदन में चर्चा संभव होगी। नियम 52 के तहत एक सूचना प्राप्त हुई और वह ग्राह्य रही। इसके साथ ही सदन में इस सत्र का महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय कार्य, शासकीय कार्य, वर्ष 2003-04 का अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन वर्ष 2004-05 के लेखानुदान का पारण व कार्य मंत्रणा समिति का एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ।

कुल मिलाकर यह सत्र अपने कार्यों के कारण उल्लेखनीय कहा जा सकता है। नयी सरकार नये विपक्ष, नये माहौल में सभा का कार्य संतोषजनक रहा।

इस सत्र में संसदीय शासन प्रणाली की सबसे अहम आवश्यकता, अर्थात् कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण दिखाई दिया, इस तथ्य को सदन में स्थापित करते हुए माननीय सदस्य मोहम्मद अकबर की ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा उपरांत शासकीय उचित मूल्य दुकान राजनांदगांव के सेल्समेन को अनियमितता के कारण शासकीय सेवा से पृथक करने की घोषणा राजस्व मंत्री ने की। वहीं राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड कहगांव में सूखा राहत मद की राशि गबन किये जाने संबंधी श्री संजीव शाह सदस्य की दिनांक 25 फरवरी, 2004 की ध्यानाकर्षण सूचना पर सदस्य की मांग पर पंचायत मंत्री द्वारा घटनाओं में दोषी पाए जाने वाले उपयंत्री से लेकर भुगतानकर्ता अधिकारी और तत्कालीन सी.ई.ओ. को निलंबित करने की घोषणा की।

इस सत्र में प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 7 प्रशिक्षण सत्रों में अत्यंत ही सहज एवं सरल वातावरण में हमारे सदन के ही वरिष्ठ मान. सदस्यों मान. श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रविन्द्र चौबे, श्री नंद कुमार पटेल, श्री रामविचार नेताम, श्री रामचंद्र सिंहदेव, श्री अमर अग्रवाल, श्री गणेश शंकर बाजपेयी, श्री ननकीराम कंवर, श्री अजय चन्द्राकर, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, श्री सत्यनारायण शर्मा ने उनके व्यावहारिक अनुभव से सदस्यों को मार्गदर्शन दिया और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने भी व्यावहारिक प्रक्रिया एवं पद्धति से मान. सदस्यों को अवगत कराया। अत्यंत सहज एवं सरल वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम से मान. सदस्य निश्चित ही लाभान्वित हुए हैं क्योंकि प्रथम बार निर्वाचित मान. सदस्यों का भी कार्य एवं व्यवहार सभा में ऐसा नहीं लगा कि वे प्रथम बार निर्वाचित होकर आए हैं। इस प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन सत्र में क्रमशः मान. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, मान. श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष कृपापूर्वक उपस्थित हुए तथा समापन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीया पूर्व सदस्य श्रीमती करूणा शुक्ला ने माननीय सदस्यों को सम्बोधित किया।

इस सत्र में नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार पर कौल एवं शकधर द्वारा रचित पुस्तक **"संसदीय पद्धति, प्रक्रिया एवं व्यवहार"**, **"भारत का संविधान"** एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक **"विधान सभा, प्रक्रिया का संक्षेप एवं संसदीय व्यवहार"** भी वितरित की गई है ताकि सदस्यगण आगामी सत्र में इन पुस्तकों का अध्ययन कर सभा में और प्रभावी रूप से कार्यवाही में हिस्सा ले सकें।

मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने विधान सभा कार्य संचालन में मुझे सहयोग दिया। मैं समस्त मान. सदस्यों का भी आभारी हूँ जिन्होंने सभा की कार्यवाही को प्रक्रिया के अनुरूप एवं संसदीय व्यवहार का पालन करते हुए सभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। मैं प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले पत्रकार बंधुओं का भी आभारी हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही को प्रदेश की 2 करोड़ जनता तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। मैं विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सत्र के दौरान सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया। राज्य शासन के अधिकारियों को भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि जिन्होंने सदस्यों द्वारा वांछित जानकारियों को मंत्रिमण्डल के माध्यम से सभा में प्रस्तुत किया। मैं सुरक्षा व्यवस्था से संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनायी रखी और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अथवा शिकायत का मौका नहीं दिया।

कार्यपालिका व विधायिका के समन्वय से एक सुविकसित सम्पन्न संस्कारित छत्तीसगढ़ की कल्पना साकार होगी, मेरा यह विश्वास है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं सदस्य श्री रामचन्द्र सिंहदेव ने भी उद्‌गार प्रकट किये।

सदन में "जन-गण-मन" की धुन बजाई गई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई।

इसके पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित की गई।